

उ-मैल/गुप

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नरसिंहपुर
// विविध आदेश //

क्रमांक- क्यू / दो-12-13/87

नरसिंहपुर, दिनांक-30.08.2024

माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर के ज्ञापन क.-ए/6524 दिनांक 27 अगस्त 2024 में दिये गये निर्देशों के पालन में जिला मुख्यालय, नरसिंहपुर एवं तहसील स्थापना गाडरवारा/तेन्दूखेड़ा/गोटेगांव की न्यायालयों में दिनांक 31.08.2024 को प्रस्तुत होने वाले अति-आवश्यक कार्य संपादित किये जाने के लिए निम्नानुसार न्यायाधीशगण को अधिकृत किया जाता है:-

1- जिला मुख्यालय नरसिंहपुर में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा विशेष न्यायाधीश(एट्रोसिटी), नरसिंहपुर एवं प्रथम/तृतीय/चतुर्थ/पंचम, जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की न्यायालयों में प्रस्तुत होने वाले अति-आवश्यक कार्य संपादित करने हेतु **श्रीमती रश्मिना चतुर्वेदी, चतुर्थ जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नरसिंहपुर को अधिकृत किया जाता है।**

2- तहसील स्थापना गाडरवारा में प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ, जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की न्यायालयों में प्रस्तुत होने वाले अति-आवश्यक कार्य संपादित करने हेतु **श्री मनीष कुमार श्रीवास्तव, प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, गाडरवारा को अधिकृत किया जाता है।**

3- जिला मुख्यालय नरसिंहपुर में प्रथम/द्वितीय/ अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ एवं कनिष्ठ खंड/मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तथा प्रशिक्षु न्यायाधीशगण की न्यायालयों में प्रस्तुत होने वाले अति-आवश्यक कार्य संपादित करने हेतु **श्री राधाकृष्ण यादव, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड, नरसिंहपुर की न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश को अधिकृत किया जाता है।**

4- तहसील स्थापना गाडरवारा में कार्यरत प्रथम/द्वितीय/अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ एवं कनिष्ठ खंड/एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तथा प्रशिक्षु न्यायाधीश की न्यायालयों में प्रस्तुत होने वाले अति-आवश्यक कार्य संपादित करने हेतु **श्री अश्विन परमार, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड, गाडरवारा की न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश को अधिकृत किया जाता है।**

5- तहसील स्थापना गोटेगांव में कार्यरत व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड/न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की न्यायालय में प्रस्तुत होने वाले अति-आवश्यक कार्य संपादित करने हेतु **श्री बाँबी सोनकर, द्वितीय व्यवहार कनिष्ठ खंड, गोटेगांव को अधिकृत किया जाता है।**

6- तहसील स्थापना तेन्दूखेड़ा में कार्यरत व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड/न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की न्यायालय में प्रस्तुत होने वाले अति-आवश्यक कार्य संपादित करने हेतु **श्री अरविंद मीणा, व्यवहार कनिष्ठ खंड, तेन्दूखेड़ा को अधिकृत किया जाता है।**

7- दिनांक 31.08.2024 को केन्द्रीय जेल, नरसिंहपुर में जेल लोक अदालत का आयोजन होने से **श्रीमती ऐश्वर्या जैन, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नरसिंहपुर** को केन्द्रीय जेल नरसिंहपुर में लोक अदालत का कार्य संपादित करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

उपरोक्त न्यायाधीशगण को छोड़कर, शेष समस्त न्यायाधीशगण सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 31.08.2024 को आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल रहेंगे।

इसी प्रकार दिनांक 01.09.2024 के लिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नरसिंहपुर द्वारा जारी रिमाण्ड आदेश दिनांक 29.08.2024 में उल्लेखित न्यायाधीशगण रिमाण्ड ड्यूटी की अवधि को छोड़कर शेष अवधि के लिए समस्त न्यायाधीशगण के साथ सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 01.09.2024 को आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल रहेंगे।

(कमल जोशी)

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
नरसिंहपुर.

2142
पृष्ठांकन क्र.- /दो-12-13/87
प्रतिलिपि :-

नरसिंहपुर, दिनांक-30.08.2024

1. विशेष न्यायाधीश, (एट्रोसिटी), नरसिंहपुर
2. प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ/पंचम, जिलान्यायाधीश, नरसिंहपुर/ गाडरवारा
3. प्रथम/द्वितीय/अतिरिक्त, व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड, नरसिंहपुर/गाडरवारा
4. प्रथम/द्वितीय/तृतीय/अतिरिक्त/व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, नरसिंहपुर/गाडरवारा/तेन्दूखेड़ा/गोटेगांव
की ओर माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर के ज्ञापन क्र.-ए/6524 दिनांक-
27 अगस्त 2024 एवं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी विस्तृत कार्यक्रम की छायाप्रति संलग्न कर
दिये गये निर्देशों का पालन किये जाने एवं विविध आदेश में वर्णित अनुसार दो दिवसीय राष्ट्रीय
सम्मेलन में भाग लेने हेतु प्रेषित।
5. प्रभारी अधिकारी, नाजरात अनुभाग, नरसिंहपुर/गाडरवारा की ओर आवश्यक कार्य
व्यवस्था के संबंध में संबंधित को निर्देशित किये जाने हेतु प्रेषित।
6. प्रभारी अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग, नरसिंहपुर/गाडरवारा की ओर जूनियर
सिस्टम एनालिस्ट/आई0टी0 अस्सिस्टेंट/एस.ए. नरसिंहपुर/गाडरवारा को निर्देशित किये
जाने हेतु प्रेषित।
7. प्रस्तुतकार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नरसिंहपुर की ओर अवगत कराने हेतु
प्रेषित।
8. जूनियर सिस्टम एनालिस्ट, नरसिंहपुर/सिस्टम अस्सिस्टेंट, नरसिंहपुर/गाडरवारा की
ओर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के निर्बाध कनेक्शन के लिए आवश्यक सहायता एवं उपकरण
प्रदान करने हेतु प्रेषित।

संलग्न:- ज्ञापन क्र.-ए/6524 दिनांक- 27.08.2024
एवं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी विस्तृत
कार्यक्रम की छायाप्रति।

R 30/08/24
हेतु-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
नरसिंहपुर



HIGH COURT OF MADHYA PRADESH, JABALPUR

MEMO

No. A/6524

Dated : 27th August, 2024

To,

The Principal District and Sessions Judge/
Principal Judge, Family Court
(All in the State of Madhya Pradesh)

Sub: Regarding participation of Judicial Officers of the State of Madhya Pradesh virtually in the National Conference of District Judiciary scheduled to be held on 31.08.2024 and 01.09.2024 at New Delhi.

With reference to the subject cited above, it is stated that the Supreme Court of India is organizing two days' National Conference of the District Judiciary scheduled to be held on 31.08.2024 & 01.09.2024 at Multi-pupose Hall, Level -3, Convention Centre, Bharat Mandapam, Pragati Maidan, New Delhi.

In this regard, a letter dated 22.08.2024 of the Secretary General, Supreme Court of India has been received vide which it has been requested to nominate 45 Judicial Officers of the cadre of Principal District Judges(20) Civil Judges (Senior Division) (13) and Civil Judges (Junior Division) (12) for participating, physically in the conference. It has also been requested to all other Judicial Officers to participate in the Conference, virtually.

In this respect, it is pertinent to mention here that 45 Judicial Officers, have been nominated to attend the Conference scheduled to be held on 31.08.2024 & 01.09.2024, physically.

Therefore, as directed, you are requested to attend two days' National Conference of the District Judiciary scheduled to be held on 31.08.2024 & 01.09.2024, **virtually** along with all Judicial Officers.

It is also requested that in case of any exemption sought by Judicial Officers from attending the Conference **virtually**, you are authorized to grant exemption to such Judicial Officers in this regard and also to reserve some Judicial Officers to perform the urgent/necessary duties during the said period in order to avoid any inconvenience in the functioning of the district court. Necessary directions may be issued, accordingly.


REGISTRAR GENERAL